न्यायालय उपखन्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 49/2011

श्री अली पुत्र अहमदा जाति मेहरात निवासी गांव दौलतपुरा द्वितीय हाल तहसील बिजयनगर जिला अजमेर राज0।

--------वादी

ब ना म

1– श्री लाडू पुत्र पदमा
2– श्री उदा पुत्र पदमा
3– श्री दीना पुत्र हजारी
4– श्री नूरा पुत्र जफरू
5– श्री कालू पुत्र जफरू
6– श्रीमति गेन्दी पत्नि जफरू
7– श्री मिश्री पुत्र सुबरान
8– श्री भंवर पुत्र सुबरान
पदमा के वारीसान
9– श्री मंगला पुत्र रूपा ----रामा पुत्र पन्ना के वारीस
10– श्री भंवरू पुत्र किशना
11– श्री सकरू पुत्र किशना
12– श्री छोटू पुत्र किशना
13– श्री हबीब पुत्र किशना
14– श्री शोकिन पुत्र किशना
15– श्री नीरा पुत्र किशना
16– श्री मौहम्मद पुत्र खंगारा
किशना पुत्र पूरा के वारीस
समस्त जाति मेहरात निवासीयान दौलतपुरा द्वितीय हाल विजयनगर जि0अजमेर
17– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय मसूदा

------प्रतिवादीगण

वादपत्र अंतर्गत धारा 53, 188 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अंतिम निर्णय दिनांक

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 8.6.2016 को निर्णय व प्रारंभिक डिक्री पारीत की गई। जिसके तहत तहसीलदार बिजयनगर को पत्र कमांक 153 दिनांक 13.3.2018 को डिक्री की पालना हेतू तहरीर जारी की गई। अनुपालना में तहसीलदार बिजयनगर ने बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर अपने पत्र कमांक 2018/859 दिनांक 27.4.2018 को प्रस्तुत किया गया। उपस्थित वादी ने बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार फाईनल डिक्री जारी करने का निवेदन किया।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपान्त अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन यथाप्रस्ताव बंटवारा स्वीकार योग्य होंने से स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार मौजा दौतलपुरा द्वितीय पटवार हल्का दौलतपुरा द्वितीय तहसील मसूदा हाल बिजयनगर में स्थित खसरा नंबर 1781/1रकबा 01–17–13 को अली पुत्र अहमदा कौम मेरात एंव खसरा नंबर 1781/2 रकबा 04–07–17 को हजारी, जफरू, लाडू, सुबान, उदा पिसरान पदमा, नैनी पत्नि हजारी, दीना पुत्र हजारी, मेहफुल, रेशमी, कसुमी पुत्रीया हजारी, नूरा पुत्र जफरू, मिश्री, भंवरू पिता सुबान, रामा पुत्र पन्ना, पारसी पुत्री गुलाब, मोहम्मद पुत्र खंगारा, भंवर, शकरू, छोटू, हबीब, शोकिन पिसरान किशना, पतासी, जनता, फरीदा, पुत्रीया किशना, रेशमी पत्नि मेवा, नीरा पुत्र मेवा कौम मेरात साकिन देह खातेदार के हिस्से में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार हाल बिजयनगर को यथानुसार राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक खाते कायम करने एंव लगान कायम करने तथा राजस्व नक्शे में यथानुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तदनुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30/5/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.02 11:49:27 IST
Reason: SelfAttested